

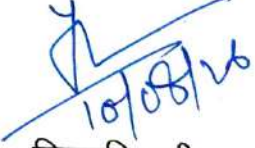


वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन
हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-
समहरणालय, खगड़िया।
वन स्टॉप सेंटर, खगड़िया।
विज्ञापन संख्या- 02/26.....

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक- WCDC/2088/23, दिनांक- 26/09/2023 के आलोक में वन स्टॉप सेंटर, खगड़िया के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	पदों की संख्या	कोटि	आयु अधिकतम	मानदेय (कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी)
1.	केन्द्र प्रशासक (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	कोटि के अनुसार	30,000 रुपया

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट khagaria.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक- 12/09/2023..... को अपराह्न 5:00 बजे तक Email ID -dhewkhagaria@gmail.com पर स्वीकार किया जायेगा।


जिलाधिकारी,
खगड़िया।

वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-

समहरणालय, खगड़िया।

वन स्टॉप सेंटर, खगड़िया।

विज्ञापन संख्या- 02/26.....

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक-WCDC/2088/23, दिनांक- 26/09/2023 के आलोक में वन स्टॉप सेंटर, खगड़िया के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	पद का नाम एवं कार्य दायित्व	शैक्षणिक अहर्ता	कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता	पदों की संख्या	कोटि	मानदेय
1.	केन्द्र प्रशासक (महिला हेतु आरक्षित) केन्द्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर की मार्गदर्शिका के अनुरूप वन स्टॉप सेंटर के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदाई होंगी।	कानून/ समाजकार्य/ समाजशास्त्र/ समाजविज्ञान/ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राथमिकता:- महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले साथ ही स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।	01	अनारक्षित	30,000रूपया

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।

2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।

4. उम्र सीमा:- संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी।

अनारक्षित वर्ग (पुरुष)

- 37 वर्ष

पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)

- 40 वर्ष

अनारक्षित वर्ग (महिला)

- 40 वर्ष

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)

- 42 वर्ष

5. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।

6. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी, समेकित मानदेय वाले पदों पर EPF तथा ESIC देय नहीं होगी।

7. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेंटर के अधीन होगा।

8. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।

9. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

10. सरकारी/अर्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यानुभवन की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की मान्य होगी।
11. चयन प्रक्रिया-निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के NIC वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
12. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार, जिलाधिकारी, खगड़िया के अधीन हैं। जिलाधिकारी, खगड़िया विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करने हैं।
14. इक्षुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक-12/09/2026 के तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए Email-dhewkhagaria@gmail.com पर समर्पित करेंगे। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
16. अभ्यर्थी, विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से NIC-khagaria.nic.in के वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।


जिलाधिकारी,
खगड़िया।